न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 135/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. दीपाराम पुत्र खीयाराम 2. बिरमाराम गोदपुत्र जयराम 3. जसवन्ता राम पुत्र खीयाराम 4. जेठाराम पुत्र खीयाराम 5. शिवलाल पुत्र खीयाराम 6. लादूराम पुत्र खीयाराम 7. लिखमाराम पुत्र खीयाराम जातियान–मेघवाल, निवासी–रिडमलसर तहसील फलौदी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश क्रमांक राजस्व/ 2017/ 1021 दिनांक 24.7.2017 को को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 08 सितम्बर,2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रिडमलसर तहसील फलौदी हाल–तहसील बापिणी के खेत खसरा संख्या 1101 रकबा 44 बीघा, ख0सं0 799 रकबा 22.19 बीघा भूमि अपीलान्टस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के रूप में आई हुई है। ख0सं0 1101 में से ख0सं0 799/1 रकबा 01.04 बिस्वा भूमि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलान्टस को बिना नोटिस गैर मुमकीन रास्त में दर्ज कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम रिडमलसर तहसील फलौदी हाल–तहसील बापिणी के खेत खसरा संख्या 1101 रकबा 44 बीघा, ख0सं0 799 रकबा 22.19 बीघा भूमि अपीलान्टस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के रूप में आई हुई है। तहसीलदार फलौदी के द्वारा धारा 131, 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय न तो अपीलान्टस को कोई नोटिस दिया गया, न ही अपीलान्टस को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया एवं बाले–बाले दिनांक 09.02.2017 को ग्राम रिडमलसर में तेलिया नाडी ग्रेवल सडक तक भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर दिया जबकि मौके पर उक्त खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 1101 रकबा 44 बीघा भूमि में से पूर्व में ही डॉमर सडक रिडमलसर से चंपासर निकलतीं है। इस प्रकार अपीलान्टस की खातेदारी में से

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करीब 6 बीघा भूमि पूर्व में ही रिडमलसर से चांपासर सडक में दी जा चुकी है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी आधार के एवं बिना राजस्व रेकर्ड नक्शें एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्टस की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दे दिये गये। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी की भूमि को बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही बिना मुआवजे दिये ही गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश जारी करते समय न तो मौका रिपोर्ट मंगवाई और न ही पटवारी हल्का से भूमि का माप व सीमांकन करवाया, न कोई मौके पर रास्ता चल रहा था। पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा रिपोर्ट तैयार तहसीलदार की ओर से एकतरफा प्रस्ताव बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.05.2018 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर दिनांक 10.05.2018 को नकले पर सम्पूर्ण जानकारी हुई, उक्त जानकारी तिथी से अन्दर म्याद अपील पेश की गई जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.2017 को निरस्त किया जाकर ख00 1101/2 रकबा 14 बिस्वा व ख0सं0 799/1 रकबा 01.04 बीघा भूमि को पुनः अपीलान्टस के खाते में पूर्व अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तत0 तहसीलदार फलौदी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम रिडमलसर, देवनाडी के विभिन्न खसरान भूमि में मौके पर चल रहे कदिमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 24–07–2017 का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तत0 तहसीलदार फलौदी की ओर से अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम रिडमलसर ग्राम से तैलिया नाडी तक ग्रेवल सडक तक की खसरान भूमि में से मौके पर चल रहे कदिमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित करने एवं नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट के खातेदारी वाले खसरान भूमि के सम्बन्ध में न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया जाना प्रकट है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश के

क्रम में इन निर्देशों के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि तहसीलदार बापिणी पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि की मौका जॉच करें व मौका जॉच रिपोर्ट तैयार करें। अगर पूर्व में जारी आदेश की मूल भावना व मूल आधार के इतर मौके पर स्थिति पाई जाती है तो मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, लोहावट नियमानुसार कार्यवाही करें। अन्यथा पूर्व में जारी आदेश को यथावत माना जावें।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन, विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, बापिणी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करें व मौका जॉच रिपोर्ट तैयार करें। अगर पूर्व में जारी आदेश की मूल भावना व मूल आधार के इतर मौके पर स्थिति पाई जाती है तो मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, लोहावट पुनः रास्ता सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही करें। अन्यथा पूर्व में जारी आदेश को यथावत माना जावें। कोई भी पक्ष मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर